

आदेश

श्री मधुराज पुरोहित अ श्रेणी ठेकेदार बाईसा मुहल्ला बडा बाजार सागर को कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि संभाग सागर द्वारा देवरी सरईवन मार्ग का निर्माण कार्य लं 18.00 कि.मी अनुबंध क 92/डी.एल/2013-14 अनुमानित लागत 1427.36 लाख का निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 4.9.2013 को 17 माह वर्षाकाल सहित की समयावधि में कार्य पूर्ण करने हेतु जारी किया गया था आपके द्वारा कार्य समयवधि में पूर्ण नहीं करने के कारण एवं कार्य धीमी गति से करने के कारण कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि संभाग सागर द्वारा कार्यालय पत्र क 2169/आ.देवरी/दिनांक 10.5.2016 द्वारा अनुबंध की धारा 3 सी के तहत समाप्त किया गया एवं पंजीयन निलबन की कार्यवाही हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त कारणों को मददेनजर रखते हुये श्री मधुराज पुरोहित अ श्रेणी ठेकेदार सागर को इस कार्यालय के पत्र क 1434/सा/पंजी. नि/2016-17/सागर दिनांक 28.5.2016 द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसका जबाब दिनांक 6.6.2016 को आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके संबंध में दिनांक 13.6.2016 को आपकी एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि संभाग सागर की सुनवाई की गई। जिसमें आपके एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि सागर के कथनों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आपके द्वारा कार्य आज दिनांक तक पूर्ण नहीं किया गया है।

अतः म.प्र शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क एफ 17-1/010/19/बी/आदेश/दि 24.3.2015 के साथ संलग्न कंडिका 6 के तहत दोषी पाये जाने के फलस्वरूप आदेश के प्रदत्त शक्तियों के तहत नवीन केन्द्रीयकृत पंजीयन व्यवस्था के अंतर्गत पंजीकृत श्री मधुराज पुरोहित ठेकेदार का पंजीयन तत्काल प्रभाव से 2 वर्षों के लिये निलबन किया जाता है।

इस आदेश के पश्चात श्री मधुराज ठेकेदार नये निविदा प्रपत्र क्य करने के लिये प्रतिबंधित रहेगे साथ यदि पूर्व में निविदा प्रपत्र क्य कर लिया गया है इस आदेश के पश्चात वह निविदा के लिये भी अपात्र रहेगा इनके द्वारा पूर्व में भरी गई निविदा इस आदेश के पश्चात यदि स्वीकृत भी होती है तो वह विधि शून्य होगी। यदि मेसर्स अनुबंध कर्ता या उसकी किसी फर्म का कोई भी सदस्य किसी अन्य फर्म भागीदार होगा तो वह भी फर्म भी नई निविदा प्रक्रिया में भाग लेने, निविदा प्रपत्र क्य करने तथा नया अनुबंध करने के लिये एवं नया पंजीयन करवाने के लिये इस आदेश के पश्चात पात्र नहीं होगा।

(एम.पी सिंह)

मुख्य अभियंता

लो.नि.वि.सागर परिक्षेत्र सागर

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव म.प्र शासन लो.नि.वि मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, म.प्र शासन लो.नि.वि मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. मुख्य अभियंता (यो/ब) कार्या. प्रमुख अभियंता लो.नि.वि निर्माण भवन अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. मुख्य अभियंता लो.नि.वि इन्दौर/ग्वालियर/रीवा/उज्जैन/भोपाल/सेतु भोपाल/रा.रा परिक्षेत्र भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. निज सचिव माननीय मंत्री जी लो.नि.वि मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
7. श्री पी.कुमार सहायक प्रोग्रामर कार्यालय प्रमुख अभियंता लो.नि.वि भोपाल।
8. पंजीयन अधिकारी, मुख्य अभियंता, योजना बजट कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल की ओर केन्द्रीयकृत ई पंजीयन में दर्शाने हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि मण्डल सागर/नौगांव की ओर सूचनार्थ।
10. कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि संभाग, ~~सागर~~ धोह, छतरपुर, टीकमगढ, पन्ना की ओर सूचनार्थ।
11. कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि संभाग सागर की ओर आदेश की प्रति को itmppwd@mp.gov.in & cepwdplg@mp.nic.in पर अपलोड करने हेतु।
12. श्री मधुराज पुरोहित अ श्रेणी ठेकेदार बाईसा मुहल्ला बडा बाजार सागर म.प्र की ओर भेजकर लेख है कि इस संबंध में आपको अपना पक्ष/अपील करना हो तो पत्र जारी होने की दिनांक से 90 दिन के अन्दर प्रमुख अभियंता लो.नि.वि निर्माण भवन भोपाल को प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री पी.कुमार
13/6/16

(एम.पी सिंह)
मुख्य अभियंता
लो.नि.वि.सागर परिक्षेत्र सागर